परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 22 जून, 2015 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	31 मार्च 15

परियोजना का नाम	द्वितीय ग्रामीण सम्पर्क निवेश कार्यक्रम
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	48226-002
स्थिति	प्रस्तावित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

सेक्टर	परिवहन
उप सेक्टर	सड़क परिवहन (गैर–शहरी)
रणनीतिक कार्यमदें	समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी)
परिवर्तन के प्रेरक	लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण (जीईएम) अभिशासन तथा क्षमता विकास (जीसीडी) ज्ञान समाधान (केएनएस) निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण संवर्ग	संवर्ग 3: कुछ लैंगिक तत्व (एसजीई)

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रीति	अनुमोदन संख्या	निधीयन का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार डालर)
ऋण	–	साधारण पूंजी संसाधन	500,000
–	–	प्रतिपक्ष	125,000
योग			**US$ 625,000**

सुरक्षोपाय संवर्ग

सुरक्षोपाय संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories

पर्यावरण	–
अस्वैच्छिक पुनर्वास	–
स्वदेशी लोग	–

पर्यावरण तथा सामाजिक पहलुओं का सारांश

पर्यावरण पहलू

पर्यावरण तथा सामाजिक प्रणालियों का आकलन संचालित किया जाएगा। आकलन द्वारा उस सीमा का पता लगाया जाएगा जहां तक आरबीएल कार्यक्रम प्रणालियां पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभावों का प्रबंधन और उपशमन करती है। जहां तक संभव है, सुरक्षोपाय जांच के परिणाम, जिनमें सुरक्षोपाय नीति वक्तव्य (2009) नीति सिद्धांत शामिल है, जो आरबीएल कार्यक्रम पर लागू किए जाएंगे, का संक्षेपण किया जाएगा। क्या लागू सिद्धांतों के संबंध में आरबीएल कार्यक्रम सुरक्षोपाय प्रणालियां तैयारी की जा रही हैं संचालित किया जाएगा अथवा कि आरबीएल स्टाफ मार्गदर्शन के अनुसार अपेक्षित नहीं हैं।

अस्वैच्छिक पुनर्वास

निवेश कार्यक्रम के लिए अपनाई गई स्वैच्छिक भूमि दान प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समुदाय प्रतिभागिता फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। निष्पादक एजेन्सी सुनिश्चित करेगी कि (i) भूस्वामियों के साथ और स्थल चयन पर किसी गैर–स्वामित्व प्रभावित लोगों के साथ पूर्ण परामर्श किया गया है; (ii) कि स्वैच्छिक भूमि दान से प्रभावित व्यक्तियों का जीवन स्तर गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होता है तथा राज्य सरकार तथा भारत सरकार की गरीबी उन्मूलन स्कीमों के लाभों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है; (iii) स्वैच्छिक भूमि दान की पुष्टि मौखिक और लिखित अभिलेख द्वारा की गई है तथा उसका सत्यापन किसी निष्पक्ष पार्टी या कानूनी अधिकारी द्वारा किया गया है; तथा (iv) कि उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है।

स्वदेशी लोग

निवेश कार्यक्रम में गैर–अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों पर भिन्न प्रभाव विचारित नहीं किया गया है; परियोजना से सभी लोगों को एक समान लाभ प्राप्त होगा। सीपीएफ के भीतर एक उपशमन उपाय मैट्रिक्स द्वारा उन कार्यों का विवरण दिया जाएगा जो निवेश कार्यक्रम से पैदा होने वाले प्रभावों के संवर्गों को संबोधित करेंगे।

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

परियोजना के संभावित लाभार्थियों में ग्रामीण समुदाय निवासी, किसान, महिलाएं तथा गरीब परिवार; वाणिज्यिक सेवा प्रदाता,परिवहन प्रदाता, सरकारी कर्मी जैसेकि स्वास्थ्यकर्मी, अध्यापक तथा कृषि विस्तार कर्मी शामिल हैं। समुदाय परामर्श के दौरान निवेश कार्यक्रम के संबंध में उनकी राय तथा सुझाव अभिनिश्चित किए जाएंगे।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

तैयारी अवस्था के दौरान, निवेश कार्यक्रम के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, उनकी जरूरतें तथा मांग, उनकी सम्पत्तियों की हानि के अनुमान तथा उनके उपशमन के उपायों हेतु परियोजना–प्रभावित समुदायों के भीतर चर्चाएं, साक्षात्कार तथा छोटी समूह बैठकें संचालित की जाएंगी। सभी पांच राज्यों में निवेश कार्यक्रम का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुरूषों, महिलाओं, किसानां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों के साक्षात्कार तथा समूह बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक राज्य के लिए एक समुदाय प्रतिभागिता फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। डिजाइन प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों के 100 प्रतिशत लोगों के साथ परामर्श करने की शर्त डीएमएफ शामिल की जाएगी। प्रत्येक परियोजना सड़क में समुदाय प्रतिभागिता योजना होगी।

वर्णन

प्रस्तावित निवेश कार्यक्रम से असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में लगभग 60,000 किलोमीटर पक्की ग्रामीण सड़कों के निर्माण द्वारा लगभग 2,800 आबादियों को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा। निवेश कार्यक्रम में संस्थागत व्यवस्थाओं, व्यवसाय प्रक्रियाओं तथा संबद्ध क्षमता निर्माण, विशेषकर सड़क आस्ति प्रबंधन तथा सड़क सुरक्षा के विषय में सुधार पर फोकस किया जाएगा।

परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ सम्बद्धता

भारतीय सड़क नेटवर्क के प्रमुख रूप से तीन संवर्ग हैं: (i) लगभग 60,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, (ii) लगभग 600,000 किलोमीटर की द्वितीयक व्यवस्था जिसमें राज्य राजमार्ग तथा प्रमुख जिला सड़कें शामिल हैं तथा (iii) लगभग 2.7 मिलियन किलोमीटर तृतीयक सड़कें, जो मुख्यतः ग्रामीण सड़कें हैं। ग्रामीण सड़कें, जो नेटवर्क का 80 प्रतिशत हिस्सा हैं तथा लगभग 20 प्रतिशत यातायात वहन करती हैं, ग्रामीण समुदायों को राष्ट्रीय, राज्य और प्रमुख जिला सड़कों से जोड़ती हैं।

दीर्घावधि न्यून निवेश से सड़क नेटवर्क के सभी संवर्ग प्रभावित हुए हैं तथा तीनों संवर्गों में ग्रामीण सड़क नेटवर्क सबसे खराब हालत में है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ग्राम आज भी कच्चे रास्तों पर आश्रित हैं, जो मोटरचालित यातायात के लिए अनुपयुक्त हैं

तथा वर्षा ऋतु में सहज ही अगम्य हो जाते हैं। पक्की सड़कों के अभाव में ग्रामीण समुदाय साल में 90 दिन शेष भाग से कट जाते हैं। घटिया सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादकता तथा रोजगार प्रभावित होता है, जिसका गरीबी के साथ निकट संबंध है।

भारत सरकार इस समस्या को राष्ट्रव्यापी ग्रामीण सड़क निवेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (पीएमजीएसवाई) के माध्यम से संबोधित कर रही है, जिसका लक्ष्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के वर्तमान असंयोजित ग्राह्य आबादियों को पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है। पीएमजीएसवाई सन 2000 में प्रारंभ हुई थी और वर्तमान में इसके कार्यान्वयन का 14वां वर्ष है।

विकास प्रभाव

पीएमजीएसवाई सड़कों द्वारा सेवित समुदायों की सामाजिकआर्थिक दशा में सुधार।

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
प्रतिभागी राज्यों में ग्रामीण समुदायों की मंडियों, जिला मुख्यालयों तथा आर्थिक गतिविधियों के अन्य केन्द्रों के साथ सुधरा हुआ सम्पर्क	–

आउटपुट्स तथा कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वय प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)
असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में ग्रामीण सड़कों का समुन्नततन पीएमजीएसवाई कार्यान्वयन एजेन्सियों तथा प्रणालियों की क्षमता वृद्धि	–

विकास उद्देश्यों की स्थिति	प्रचालन/निर्माण की स्थिति
–	–

महत्वपूर्ण परिवर्तन

–

व्यवसाय अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	16 दिसम्बर 14

परामर्शी सेवाएं

पीपीटीए के तहत कुल मिलाकर परामर्शी सेवा के 39 व्यक्ति–माह (9 अंतरराष्ट्रीय तथा 30 राष्ट्रीय) अपेक्षित होंगे। एडीबी द्वारा सभी विशिष्ट परामर्शदाताओं की नियुक्ति परामर्शदाताओं के उपयोग के विषय में दिशानिर्देश (2013 समय समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार की जाएगी। टीए के तहत संवितरण एडीबी की तकनीकी सहायता संवितरण पुस्तिका (2010, समय समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार किया जाएगा।

अधिप्राप्ति

उपस्कर की अधिप्राप्ति हेतु एडीबी अधिप्राप्ति दिशानिर्देश (2013, समय समय पर संशोधित अनुसार) का पालन किया जाएगा। टीए समाप्त होने पर उपस्कर सरकार को सौंप दिया जाएगा। परामर्शी सेवापेक्षा का सारांश तालिका क3.3 में दिया गया है।

अधिप्राप्ति तथा परमर्शी सूचनाएं

http://www.adb.org/projects/48226-002/business-opportunities

समय सारणी

संकल्पना स्वीकृति	30 दिसम्बर, 14
तथ्य–अन्वेषण	01 मई, 2016 से 31 मई, 2016 तक
प्रबंधन समीक्षा बैठक	30 जून, 16
टनुमोदन	–

उपलब्धियां

अनुमोदन सं.	अनुमोदन	हस्ताक्षर	प्रभाविता	समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
–	–	–	–	–	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एडीबी (हजार अमेरिकी डालर)	अन्य (हजार अमेरिकी डालर)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा अधिनिर्णय				
31 मार्च, 2015	–	–	–	–
संचयी संवितरण				
17 जून, 15	–	–	–	–

उपसंविदाओं की स्थिति

उपसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की जाती हैं – लेखापरीक्षित लेखा, सुरक्षोपाय, सामाजिक, सेक्टर, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य। उपसंविदा अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड लागू करने द्वारा किया जाता है: (i) संतोषजनक – इस संवर्ग में सभी उपसंविदाओं का अनुपालन अधिकतम एक अपवाद के साथ किया जा रहा है; (ii) आंशिक रूप से संतोषजनक – अधिकतम दो उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; (iii) असंतोषजनक – तीन या अधिक उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किए जाने पर इस संवर्ग में रखी जाती हैं। लोक संचार नीति 2011 के अनुसार परियोजना वित्तीय प्रकथनों हेतु उपसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है, जिनका वार्ता हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल, 2012 के पश्चात का है।

	संवर्ग						
अनुमोदन सं.	सेक्टर	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षोपाय	परियोजना वित्तीय विवरण
संवर्ग	–	–	–	–	–	–	–

सम्पर्क और अद्यतनीकरण विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	चेन चेन (cchen@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	परिवहन और संचार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक एजेन्सी	–

लिंक्स

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/48226-002/main
परियोजना दस्तावेजों की सूची	http://www.adb.org/projects/48226-002/documents